कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0 खण्ड,द्वितीय सीकर

क्रमांकः 1951 दिनांकः 03.02.2023

श्रीमान उपवन संरक्षक अधिकारी,
सीकर।

विषय :–**Diversion of 6.35 ha of forest land om favour of Executive Engineer, PWD Div-II Sikar Rajasthan for renewal widening and Strengthening of Sikar-Harsh road (ODR-04) Km 8/750 to 15/100 in Harshnath PF Village – Antri, Tehsil Dhod. District Sikar of Rajasthan.**

प्रसंग :– **श्रीमान उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) के पत्रांक 8बी/यूपी/06/06/2018 /एफसी दिनांक 18.08.2022 एवं इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक 1612 दिनांक 15.12.2022 के क्रम में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय, कार्यालय जयपुर लखनउ के पत्रांक बी/राज/06/06/2018/एफसी/938 दिनांक 28.03.2018 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी। उपरोक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तो के अध्यधीन प्रस्तावित क्षेत्र में वृक्षो के पातन एवं कार्य प्रारम्भ करने की अन्तरिम स्वीकृति श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ 14() 2017/सीकर रोड्स/एफसीए/प्रमुवस/2453 दिनांक 25.08.2021 के द्वारा जारी की गई थी।

उक्त अन्तिरिम स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो (क्रं.सं. 01 से 05 तक) का यूजर एजेन्सी द्वारा शक्ति से पालन किया गया है तथा अनुपालना बिन्दूवार निम्ननुसार है:–

1. अन्तरित स्वीकृति जारी की दिनांक से 01 वर्ष पूर्व ही निर्माण कार्य पूर्ण करवा दिया गया है।
2. सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का किसी भी प्रकार का कोई उल्लंघन नही किया गया है।
3. परियोंक्ता अभिकरण द्वारा अन्तरिम स्वीकृति के अनुसार 01 वर्ष की अवधि से पूर्व ही कार्य पूर्ण करवा दिया गया है। अतः अभिवृद्धि हेतु आवेदन की आवश्यकता नही है।
4. उक्त निर्माण कार्य उप वन संरक्षक सीकर के निर्देशानुसार/पर्यवेक्षण में ही सम्पन्न किया गया है।
5. शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प 1 (7) वन/2018 दिनांक 03.08.2021 की पालना की गई है।

अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकिकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर, श्रीमान उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) के पत्रांक 8बी/यूपी/06/06/2018 /एफसी दिनांक 18.08.2022 के क्रम में चाहे गये 03 बिन्दूओ के संबंध में आपके विभाग से संबंधित आवश्यक सूचना उपलब्ध करवाने का श्रम करें। ताकि परिवेश पोर्टल पर प्रत्युत्तर भिजवाया जा सकें।

भवदीय

(गोपाल राम)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि, खण्ड द्वितीय सीकर

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड द्वितीय सीकर

नवलगढ़ पुलिया के पास, अधीक्षण अभियंता कार्यालय परिसर, सीकर
Email Add. – eepwddn2sikar@rediffmail.com

क्रमांक — दिनांक

श्रीमान उप वन संरक्षक अधिकारी
सीकर

विषय :– Diversion of 6.35 ha of forest land in favour of Executive Engineer, PWD Div. II Sikar Rajasthan for renewal wideining & Strenghtening of Sikar-Harsh road (ODR-04) Km 8/750 to 15/100 in Harshnath PF Village – Antri, Tehsil Dhod, District Sikar of Rajasthan
(ऑनलाईन क्रमांक – FP/RJ/ROAD/29601/2017)

प्रसंग :– श्रीमान उप वन संरक्षक (केन्द्रीय) के पत्रांक 8बी/यूपी/06/06/2018/एफसी दिनांक 18.08.2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रसांगिक पत्र द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन हेतु केन्द्र सरकार की वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत धारा – 2 के तहत प्रसांगिक पत्र के बिन्दु संख्या 3 हेतु वन विभाग का Non Violation Certificate चाहा गया है।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि उक्त संबंध में आपके विभाग से Non Violation Certificate जारी करवाने का श्रम करावें।

भवदीय

(गोपाल राम)
अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड द्वितीय सीकर

क्रमांक 1612-1613 — दिनांक 15.12.2022

प्रतिलिपि सहायक अभियंता सानिवि उपखण्ड धोद को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड द्वितीय सीकर

Scanned with OKEN Scanner

2022/O/o IRO(JAIPUR) File No.SB/UP/06/06/2018/FC

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर / Integrated Regional Office, Jaipur

ए-218 & बी-216 "अरण्य भवन", झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर - 302004 / A-218 & B-216, "ARANYA BHAWAN", Jhalana Institutional Area, Jaipur-302004
दूरभाष/Tel No: 0141-2713858, 2713780 Email: ro.jaipur-mefcc@gov.in

File No. SB/UP/06/06/2018/FC Dated: 18[th] August, 2022

सेवा में,
शासन सचिव (वन)
सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन,
जयपुर, राजस्थान

<u>ऑनलाईन प्रस्ताव FP/RJ/ROAD/29601/2017</u>

विषय: Diversion of 6.35 ha of forest land in favour of Executive Engineer, PWD, Sikar Rajasthan for renewal, widening & strengthening of Sikar-Harsh road (ODR-04) Km. 8/750 to 15/100 in Harshnath PF Village- Antri, Tehsil- Dhod, District (Sikar) of Rajasthan.

सन्दर्भ: शासन सचिव (वन), राजस्थान का पत्र क्रमांक: P.1(7)Forest/2018Part dated 09.05.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रस्ताव पर इस कार्यालय के सैद्धांतिक अनुमोदन दिनांक 28.03.2018 का अनुपालना प्रतिवेदन प्रेषित कर केन्द्र सरकार की वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी गयी थी।

अनुपालना प्रतिवेदन के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि राज्य शासन द्वारा सम्पूर्ण जानकारी/ दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किये गये हैं। अतः राज्य शासन से अनुरोध है कि निम्नलिखित आवश्यक जानकारी इस कार्यालय को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करायें:

1. Current status of mutation of the non-forest land of CA along with copy of notification of the land as RF/PF shall be submitted.
2. Status of muck disposal or muck disposal scheme shall be submitted.
3. No violation certificate of concerned Deputy Conservator of Forests shall be submitted.

इस संबंध में राज्य शासन से यह अनुरोध है कि उपरोक्त जानकारी को ऑनलाईन पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज सहित अपलोड करायें ताकि अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

भवदीय,

(श्रवण कुमार वर्मा)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

<u>प्रतिलिपि: (ई-मेल द्वारा)</u>

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इंस्टिट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान।
2. उप वन संरक्षक, सीकर वनमण्डल,, राजस्थान।
1. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड सीकर, राजस्थान।
- आदेश पत्रावली।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 14( )2017/सीकर रोड्स/एफसीए/प्रमुवसं/ 2453 दिनांक 25/8/21

वृक्षों के पातन एवं कार्य प्रारम्भ करने की अंतरिम स्वीकृति

जिला सीकर एवं वनमण्डल सीकर में Diversion of 6.35 ha of forest land in favour of Executive Engineer, PWD Sikar Rajasthan for renewal, widening and strengthening of Sikar-Harsh road (ODR-01) Km 8/750 to 15/100 in Harshnath PF Village-Antri Leh-Dhod, District-Sikar, के निर्माण हेतु 6.35 है0 वनभूमि के प्रत्यावर्तन की सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर, लखनऊ के पत्रांक 8बी/राजं/06/06/2018/एफसी/938 दिनांक 28.03.2018 द्वारा जारी की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा लीनियर प्रोजेक्ट हेतु जारी दिशा–निर्देश क्रमांक 11–306/2014–एफसी दिनांक 28.08.2015 की अनुपालना में भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तों के अध्यधीन प्रस्तावित क्षेत्र में वृक्षों के पातन एवं कार्य प्रारम्भ करने की अंतरिम स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

1 यह स्वीकृति, जारी करने की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगी।
2 सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर यह अंतरिम स्वीकृति प्रत्याहरित की जा सकती है एवं प्रयोक्ता अभिकरण के विरूद्ध वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।
3 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अंतरिम स्वीकृति अनुसार 1 वर्ष की अवधि में कार्य अपूर्ण रहने की स्थिति में समय रहते अभिवृद्धि हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
4 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सम्बंधित उप वन संरक्षक के निर्देशानुसार/पर्यवेक्षण में कार्य किया जायेगा।
5 शासन सचिव वन विभाग राज0 सरकार के पत्रांक प.1(7)वन/2018 दिनांक– 03.08.2021 के अनुसार उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त शर्तों के साथ प्रकरण में पुनः संशोधित सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी करने पर, उनकी पालना सुनिश्चित की जावेगी।

(डॉ. डी.एन. पाण्डेय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF),
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एफ 14( )2017/सीकर रोड्स/एफसीए/प्रमुवसं/ 2454–62 दिनांक 25/8/21
प्रतिलिपि –निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निदेशक, एफसी डिवीजन, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड नई–दिल्ली–110003
2. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र) पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024 (उ0प्र0)
3 शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4 अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, निम्नांकित कार्य, जयपुर।
5 अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (IT), जयपुर को भेजकर निवेदन है कि इस स्वीकृति की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
6 क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।
7 उप वन संरक्षक, सीकर को भेजकर निर्देशित है कि समय-समय पर निरीक्षण कर भारत सरकार द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों की पालना सुनिश्चित करें साथ ही शासन सचिव वन विभाग, राज0 सरकार के पत्रांक प.1(7)वन/2018 दिनांक– 03.08.2021 के अनुसार उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त शर्तों के साथ प्रकरण में पुनः संशोधित सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी करने पर उनकी पालना सुनिश्चित की जावेगी।
8 अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–सीकर।
9 रक्षी पत्रावली।

(डॉ. गोविन्द सागर भारद्वाज)
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
परिवर्तन एवं नोडल अधिकारी एफसीए
राजस्थान, जयपुर